



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या- 1895/2012.....जिला.....जयपुर.....

उनवान- यूरो डवलपर्स प्रा.लि., जरिये निदेशक श्री राजेश कुमार विजयवर्गीय पुत्र श्री रामकिशन विजयवर्गीय, जयपुर  
बनाम राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक प्रथम, जयपुर।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29.02.2016	<p style="text-align: center;">खण्डपीठ श्री मदन लाल-सदस्य श्री मोहन लाल नेहरा-सदस्य</p> <p>प्रार्थी निगरानीकर्ता श्री मुकेश जैन व भवानी सिंह रावत एवं अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी की ओर से निगरानी को विद्झा करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 12.01.2016 के अनुसार पूर्ण राशि जमा कराना चाहता है, इसलिए प्रार्थी को बकाया राशि जमा कराने का आदेश प्रदान किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए न्याय हित में प्रार्थी को उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार राशि जमा कराने की शर्त पर निगरानी को विद्झा करने की आज्ञा प्रदान करें।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत निगरानी विद्झा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 1895/2012/जयपुर जरिये विद्झावल (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               (मोहन लाल नेहरा)              सदस्य         </div> <div style="text-align: center;">               (मदन लाल)              सदस्य         </div> </div>	